3f10+30

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(ए)20 / परिपत्र / संस्था / बीमा / 2012 / 6084+06134 दिनांक : 17-9-2012

समस्त अतिरिक्त / संयुक्त / उप / सहायक निदेशक,
मुख्यलेखाधिकारी / सहायक विधि परामर्शी /
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
मुख्यालय, जयपुर / सा.बी.यो.,जयपुर / संभागीय /
जिला कार्यालय ....

विषय : राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में।

संदर्भ : इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र संख्या 681–740 दिनांक 23.04.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित परिपत्र के क्रम मे लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या प.10(1)प्र.सु. / अनु.1 / 2012 दिनांक 30.03.2012 की पालना हेतु आपको पत्रांक 681–740 दिनांक 23.04.2012 प्रेषित किया गया था परन्तु आज दिनांक तक उक्त परिपत्र के निर्देशों की पालना नही की जा रही है । आप संलग्न परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के निर्देशों की पालना किया जाना एवं अधिनस्थ से कराया जाना सुनिश्चित करें।

59/548

संलग्न : उपरोक्तानुसार

59/548 21/9/12
209
21-9-12

भवदीया,

चित्रा 13/9/2012
(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

24/9
354/545
24/9

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक प. 10 (1) प्र0सु00/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांक 30-3-2012

:–परिपत्रः–

यह देखने मे आया है कि राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जो पत्र प्रेषित किये जाते है एवं टिप्पणी/नोट निर्णयार्थ उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते है, उन पर प्रायः उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं दिनांक अंकित नही किये जाते है तथा केवल पद नाम ही अंकित कर दिया जाता है, जब किसी कारणवश उनके पद या अन्य विवरण की जानकारी आवश्यक हो अथवा जाँच की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की पहचान नही हो पाती है तथा जिससे जाँच में विलम्ब होता है एवं जाँच प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रशासन के फील्ड कार्यरत कार्मिकों जैसे पटवारी, ग्राम सचिवों के मामले मे इसका और भी गहरा असर होता है।

अतः शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने की दृष्टि से एवं जवाबदेही प्रशासन की धारणा को मूर्तरूप देने के लिए यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिक राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी पत्र, नोट, एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक एवं अपना पूरा नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, जिससे प्रशासन में बेहतर पारदर्शी एवं जवाबदेही स्थापित हो सके।

अन्य कार्मिक जो पत्र/आदेश आदि पर अपने पदनाम की मोहर लगाते है वे अपने नाम की मोहर भी अलग से पदनाम के ऊपर लगा सकते हैं अथवा नाम अंकित कर सकते है तथा उसके ऊपर अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर सकते है।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों से अपेक्षा की जाती है कि वें अपने अधीनस्थ विभागों/बोर्ड/निगम के अधिकारियों से उपयुक्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(सी. के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

वित्त (राजस्व डिवीजन) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 5268
दिनांक 5-4-3

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा0मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर–प्रचार प्रसार हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(डी. आर. मेहता जैन)
प्रमुख शासन सचिव

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
वित्त (समन्वय) विभाग

क्रमांकः प0 11(4)वित्त/समन्वय/2011 जयपुर, दिनांकः 02.04.2012

प्रतिलिपि समस्त संयुक्त शासन/उप शासन सचिव/संयुक्त विधि परामर्शी वित्त विभाग को भेजकर निदेशानुसार लेख है कि परिपत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(उर्मिला जोशी) 2-4-12
संयुक्त सचिव

श्री बाबूलाल/सुश्री प्रियंका

3-4-12